न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 41/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/47)

ग्राम पंचायत कोहला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोहला पंचायत समिति हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
2. ग्राम पंचायत रामसरानारायण जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रामसरानारायण पंचायत समिति हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री विनोद कुमार पुरोहित – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कौशल आचार्य – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. श्री महेश स्वामी
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 16.10.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 27.06.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश क्रमांक टीआरए/आबादी/21/ 109 दिनांक 25.11.2021 द्वारा चक 19 एचएमएच की कृषि भूमि को ग्राम पंचायत रामसरानारायण के नाम से हस्तांतरित करने, तथा उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत कोहला गैरखातेदार के स्थान पर ग्राम पंचायत रामसरानारायण गैरखातेदार के नाम नामान्तकरण दर्ज कर पालना रिर्पोट पेश करने हेतु पटवारी हल्का रामसरानारायण को आदेश दिया। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानढ के आदेश दिनांक 25.11.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ मे पेश कर उसे निरस्त करने तथा उसके आधार पर दर्ज नामान्तरण सं. 732 दिनांक 25.11.2021 को निरस्त कर अपील में दर्ज विवादित कृषि अपीलान्ट के नाम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.06.2022 द्वारा अपीलाधीन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश विधि सम्मत होने का मानकर अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय मे पेश कर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2022 व तहसीलदार हनुमानगढ के आदेश दिनांक 25.11.2021, दोनो आदेशो को निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

4. इस न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 25.07.2022 के विरूद्व अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की, माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.2022 को निगरानी खारिज कर उभय पक्ष को सुनकर विधि अनुसार अपील का निस्तारण करने का इस न्यायालय को निर्देशित किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत कोहला है जो कि राज्य सरकार के नियमो के अन्तर्गत कार्य करता है। यह कि विवादित कृषि भूमि चक 19 एचएमएच के खाता सं. 150 पं. नं. 129/284 (49) किला नं. 11 ता 14, 17 ता 19, 23 ता 25 कुल 2.530 हैक्टयर नहरी 0.506 हैक्टयर कमाण्ड 2.024 अनकमाण्ड अलॉटमेट मे राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम से दर्ज है जो कि अपीलान्ट के क्षेत्राधिकार की कृषि भूमि है। ग्राम कोहला पंचायतीराज के स्थापना से ग्राम पंचायत के रूप मे चली आ रही है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 2 को सन् 1985 में पचायतों के पुर्नगठन में ग्राम पंचायत किशनपुरा दिखनादा से अलग कर स्थापित किया गया था। स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 कभी भी अपीलान्ट को पचायत क्षेत्र का भाग नही रही है। विवादित कृषि भूमि की अलॉटी अपीलान्ट ग्राम पंचायत कोहला है जिसे 10 बीधा दिनांक 29.02.1968 को आवटन की गई, आवंटन के बाद अपीलान्ट के नाम इंतकाल सं. 5 दिनांक 20.12.1968 राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया। उक्त भूमि पूर्व में जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा दिनांक 28.06.2001 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये थे उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय के विरूद्व श्रीमान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, उक्त प्रकरण में दिनांक 09.09.2023 को श्रीमान द्वारा निर्णय किया गया जिसके मुताबिक अपीलान्ट की अपील स्वीकर की गई एवं कलक्टर हनुमानगढ के आदेश 28.06.2001 को निरस्त किया गया। आदेश दिनांक 09.09.2023 अंतिम आदेश था उसकी कोई अपील पेश नही की गई। इस पूरी कहानी को छुपाकर अपील पेश की गई है। उक्त प्रकरण रेस–ज्यूडिकेटा के सिद्वान्त से बाधित रहे थे। इस बिन्दु पर नजीरात निम्न है। आर.एल. डब्ल्यू 2010 (1) आर जे पेज 114, आर.आर. डी 1988 पेज 443, ए.आई.आर 2007 एम.पी पेज 112 है। साथ ही उक्त भूमि को हड्डारोडी हेतु दिया गया है। आलॉटमेन्ट से प्राप्त भूमि का नामान्तरण बिना सहमति के किसी अन्य के दर्ज नही किया जा सकता है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा ऐसी कोई सहमति अपीलान्ट से नही ली गई । अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश व नामान्तरण दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 25.11.2021 को पारित करने के लिए मुख्य आधार कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद हनुमानगढ के प्रस्ताव को आधार बनाकर आदेश पारित किया जो प्रस्ताव इनके द्वारा अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी करते हुए बिना किसी आधार रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश में किसी भी दस्तावेज का उल्लेख नही किया है। अतः :अपीलान्ट द्वारा दिनांक 05.09.2023 के प्रार्थना पत्र साथ सलग्न दस्तावेज को पत्रावली में शामिल कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 27.06.2022 व तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ का आदेश दिनांक 25.11.2021 जिसके तहत् जारी नामान्तरण सं. 732 दिनांक 25.11.2021 को शून्य एवं निष्प्रभावी धोषित किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि तहसीलदार ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 102 क में दिये गये अधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है जो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विधि सम्मत है। पुरानी ग्राम पंचायत कोहला टूटने के बाद ग्राम पंचायत रामसरा नारायण बनने के बाद कुछ राजस्व चक ग्राम पंचायत रामसरा नारायण में आ गये। अधिकारियो की रिपोर्ट के अनुसार ही पूरी प्रक्रिया अपनाकर की गई है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर ना तो कोई कब्जा है व ना ही किसी तरह से उपयोग करने का अधिकार है। वर्तमान में उक्त भूमि हड़ारोडी हेतु ठेका दे रखा है। अपीलान्ट को इस स्टेज पर दस्तावेज पेश करने का कोई अधिकार नही है। बेवजह न्यायालय के अमूल्य समय को जाया करने हेतु एवं प्रकरण में देरी करने के उदेश्य से दस्तावेज पेश किए जा रहे है, जबकि उक्त समस्त दस्तावेज यदि अपीलान्ट के हित मे है तो अधिनस्थ न्यायालय मे ही पेश किए जाने चाहिए थे। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर नही लिया जावे तथा अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रकरण के विवेचन व विश्लेषणपरान्त पाया कि पटवारी हल्का रामसरानारायण की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2021 अनुसार चक 19 एच.एम.एच पटवार मंडल रामसरानारायण में स्थित है। जबकि चक 19 एच.एम.एच के खाता सं. 150 मे प. नं. 129/284 मु. नं. 49 किला नं. 11 ता 14, 17 ता 19, 23 ता 25 कुल किता 10 रकबा 2.530 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत कोहला गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पटवार मंडल रामसरानारायण में स्थित है। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा सुसंगत विधिक प्रावधानो के तहत दिनांक 25.11.2021 को उक्त भूमि वर्तमान में पूर्व मे सृजित ग्राम पंचायत रामसरानारायण के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने के कारण राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत कोहला गैर खातेदार के स्थान पर ग्राम पंचायत रामसरानारायण गैर खातेदार के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए गए। तद्नुसार उक्त भूमि का ग्राम पंचायत रामसरानारायण के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
हीरालाल

खाते अमल दरामद किया गया। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के प्रस्ताव व सरपंच ग्राम पंचायत रामसरानारायण के अनापत्ति हलफनामा के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 16.03.2022 उक्त भूमि मे सें 1.442 हैक्टेयर भूमि नगर परिषद हनुमानगढ को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित करने का आदेश प्रदान किया गया, तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही सुसंगत विधिक प्रावधानो के परिपेक्ष्य में की जानी प्रतीत होती है, अतः उक्त विवेचन विश्लेषण के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 29/2021 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 में हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 29/2021 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

9. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर